

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक-भू.अ./20 /

दिनांक:- / /20

प्रेषिति.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय.

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भगवानलाल पुरबिया पिता बेनालाल देवलपुरा प.ह. शेलाडेडा के राजस्व ग्राम देवलपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 41,42,165 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि ने सम्मानजनक जाति/नाम पुरबिया किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम पुरबिया का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2025/850

दिनांक:-17/10/2025

निमित्त.

पटवार हल्का शेलाडेडा

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने का मत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री भगवानलाल पिता बेनालाल पुरबिया राजस्व ग्राम देवलपुरा प.ह. शेलाडेडा की खाता संख्या 41,42,165 में जाति/नाम शाडरी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति के रूप में रिपोर्ट में पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार जिला कार्यालय द्वारा भी जाति सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भगवानलाल पुरबिया पिता बेनालाल पुरबिया जाति/नाम पुरबिया एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. शेलाडेडा राजस्व रिपोर्ट उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

1. प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

चित्तौडगढ